

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में उन्नत समग्र पर मक्का के प्रदर्शन प्लांट पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं। उन्नत समग्र पर मक्का के प्रदर्शन प्लांट पर ₹ 2400/- एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Demonstrations on Improved Packages on Maize

Tentative District wise Physical Financial targets for FNS- Coarse Cereal (Maize Demonstrations on improved packages-on hybrid variety) Kharif-2024(Assistance @ ₹ 2400/- acre.)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Panchkula	100	2.40	80	1.92	20	0.48
2	Rohtak	30	0.72	24	0.58	6	0.14
3	Bhiwani	30	0.72	24	0.58	6	0.14
4	Sirsa	60	1.44	48	1.15	12	0.29
5	Hisar	70	1.68	56	1.34	14	0.34
6	Jhajjar	60	1.44	48	1.15	12	0.29
7	Ch.Dadri	62.5	1.50	50	1.20	12.5	0.30
	Total	412.5	9.90	330	7.92	82.5	1.98

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि [अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा —मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम) पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15—08—2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम) पर ₹ 3000 / किवंटल सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Certified Seed - High Yielding Varieties of Maize less than 10 year

Tentative District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of High Yielding Varieties of Maize less than 10 year during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 3000/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)
1	Panchkula	25	0.75	20	0.60	5	0.15
2	Rohtak	15	0.45	12	0.36	3	0.09
3	Bhiwani	10	0.30	8	0.24	2	0.06
4	Sirsa	15	0.45	12	0.36	3	0.09
5	Hisar	15	0.45	12	0.36	3	0.09
6	Jhajjar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
7	Ch.Dadri	20	0.60	16	0.48	4	0.12
	Total	120	3.60	96	2.88	24	0.72

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक) पर ₹ 1500/- किंवंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

High Yielding Varieties of Maize More than 10 year

Tentative District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of High Yielding Varieties of Maize More than 10 year during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 1500/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)
1	Panchkula	15	0.23	12	0.18	3	0.05
2	Rohtak	10	0.15	8	0.12	2	0.03
3	Bhiwani	10	0.15	8	0.12	2	0.03
4	Sirsa	10	0.15	8	0.12	2	0.03
5	Hisar	10	0.15	8	0.12	2	0.03
6	Jhajjar	10	0.15	8	0.12	2	0.03
7	Ch.Dadri	15	0.23	12	0.18	3	0.05
Total		80	1.20	64	0.96	16	0.24

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में बीज वितरण में संकर मक्का बीज पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाईयों कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 15–08–2024) तक कर सकते हैं।

बीज वितरण में संकर मक्का बीज पर ₹ 10000/- विवर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Distribution of Maize Hybrid Seed

Tentative District wise physical and financial target of Distribution of Maize Hybrid Seed during Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 10000/-Qtl)						
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in Qtl.)
1	Panchkula	4	0.40	3	0.30	1
2	Sirsa	4	0.40	3	0.30	1
3	Bhiwani	3	0.30	2	0.20	1
4	Hisar	4	0.40	3	0.30	1
5	Jhajjar	3	0.30	2	0.20	1
6	Ch.Dadri	4	0.40	3	0.30	1
7	Rohtak	3	0.30	2	0.20	1
	Total	25	2.50	18	1.80	7
						0.70

विशेष दिशा निर्देषः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि [अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा –मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में पौध एवं मृदा सरक्षण प्रबंधन— सुक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10–10–2024) कर सकते हैं।

पौध एवं मृदा सरक्षण प्रबंधन— सुक्ष्म तत्व पर ₹ 200 / एकड़ सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

Plant and Soil Protection Management (Micronutrient)

Tentative District wise physical and financial target of distribution of Micronutrient for Kharif-2024 (Assistance @ Rs. 200/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Panchkula	318	0.636	255	0.509	63	0.127
2	Rohtak	200	0.400	160	0.320	40	0.080
3	Sirsa	225	0.450	180	0.360	45	0.090
4	Hisar	200	0.400	160	0.320	40	0.080
5	Jhajjar	225	0.450	180	0.360	45	0.090
6	Ch.Dadri	203	0.406	162	0.325	41	0.081
7	Bhiwani	150	0.300	120	0.240	30	0.060
	Total	1521	3.042	1217	2.434	304	0.608

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी](#)/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा